

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-94/2023-24

Union Bank of India

बनाम्

M/s SHIVAJI FOODS

—: आदेश :-

29.08.2024

प्राधिकृत पदाधिकारी, UNION BANK OF INDIA, BOKARO BRANCH-3, BOKARO के द्वारा धारा-14 (1) and (2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 के अन्तर्गत विपक्षी विपक्षी 1. M/s Shivaji Foods Prop. Anand Kumar Gupta 2. Mrs. Sunita Devi both resident of H.No. 71, Yaduvansh Nagar, Near Yadav Nagar, Chas, Bokaro, Jharkhand- 827013 के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष UNION BANK OF INDIA की ओर से शाखा प्रमुख के द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Property within District- Bokaro, Sub Registry Office at Bokaro, Pargana Khaspel, P.S. Chas, Mouza Chas, Thana No. 30, Plot No. 7033, Khata No. 413, Area 4 decimal, Sale Deed No. 6180, dated 12/07/1985, Book No. 01, Vol. 51, Page No. 210 to 218 in the name of Mrs. Sunita Devi.) को गिरवी रखते हुए बैंक से रुपये 8,00,000.00 (आठ लाख) मात्र ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-30.04.2021 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। दिनांक-30.04.2021 तक ऋणकर्ता पर कुल रुपये 8,10,450/- के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा

SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1) and (2) के तहत प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षी के बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इस हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।

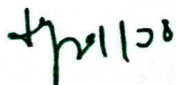
द्वितीय पक्ष को निबंधित डाक से नोटिस तामिला हेतु भेजा गया था किन्तु नोटिस बिना तामिला के ही वापस प्राप्त है। विपक्षी वाद की सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है।

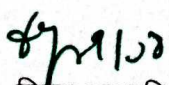
प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र, उनके विद्वान अधिवक्ता का दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि बैंक के द्वारा विपक्षी से ऋण की वापसी हेतु SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई। उसके बाद भी उनके द्वारा ऋण की वापसी की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी विपक्षी की ओर से कोई पहल नहीं करना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, UNION BANK OF INDIA, BOKARO BRANCH-3, BOKARO द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।